उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध (प्रतिबंधित सूची मुक्त संबंधी)वाद संख्या–08/2018

श्रीमती सुशीला देवी

–बनाम–

राज्य (अंचल अधिकारी, सदर)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
30.10.2021	सुनवाई के क्रम में आवेदिका श्रीमती सुशीला देवी पति वासदेव महतो, ग्राम –सिन्दूर, अंचल–सदर के द्वारा मौजा–सिन्दुर, थाना नं0–160, खाता नं0–06 प्लॉट नं0–2381, रकबा 0.32 एकड़ रैयती खाते की भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। प्रस्तुत अभिलेख के साथ संलग्न अंचल अधिकारी, सदर के प्रतिवेदन एवं आदेश फलक पर अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा अंकित है कि मौजा–सिन्दुर, थाना नं0–160, खाता नं0–06, प्लॉट नं0–2381 रैयती खाते की भूमि है। सर्वे खतियान में मसो0 गेन्दिया वगै0 के नाम से दर्ज है एवं भूमि का किस्म धान खेत है। खाता नं0– 06 के खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा भूमि बिक्री होकर आवेदिका सुशीला देवी को खाता नं0–06, प्लॉट नं0–2381, रकबा–32 डिसमिल भूमि केवाला द्वारा खरीदगी से हासिल है। सदर अंचल के दाखिल खारिज वाद संख्या 2256/15–16 के आदेशानुसार पंजी II के पृष्ट संख्या–19/VIII पर आवेदिका सुशीला देवी के नाम से रकबा 32 डिसमिल भूमि की जमाबंदी दर्ज है एवं वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है। सुनवाई के क्रम में विद्वान सरकारी अधिवक्ता (प्रभारी) के द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। संभवतः लिपिकीय टंकण भूलवश प्रतिबंधित सूची में संबंधित खाता/प्लॉट अंकित हो गया है, जिसे प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जा सकता है। दोनों पक्षों को सुनने एवं अंचल अधिकारी, सदर के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयती प्रतिवेदित है। भूमि को प्रतिबंधित सूची में दर्ज करने का कोई आधार नहीं है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

31/10/20

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अतः अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सुनवाई के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न रैयती खाते की भूमि को बिना जांच किये प्रतिबंधित सूची में दर्ज कर दिया गया है। इस क्रम में संबंधित अंचल अधिकारी एवं जिला अवर निबंधक को निदेश दिया जाता है कि आपस में समन्वय स्थापित कर ऐसे सभी रैयती खाते की भूमि जिसे लिपिकीय त्रुटिवश प्रतिबंधित सूची में दर्ज किया गया है, से संबंधित मामलों को चिन्हित करते हुए जांचोपरान्त प्रतिबंधित सूची से मुक्त करना सुनिश्चित करेंगें।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

30/10/2023
उपायुक्त, हजारीबाग।

30/10/2023
उपायुक्त, हजारीबाग

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.07.26 13:48:06 +05:30
Location: 192.168.100.105